मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं अध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा की अध्यक्षता में दि0 12.10.2020 को मुख्य सचिव सभागार, सचिवालय में आयोजित उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा) की संचालन समिति की चतुर्थ बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति सदस्यों/प्रतिनिधियों का विवरण :

1. श्री आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री भूपेश तिवारी, अपर सचिव, प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री योगेन्द्र यादव, अपर सचिव, प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री उदय राज सिंह, अपर सचिव, प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
5. श्री सुरेश चन्द्र जोशी, अपर सचिव, प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव/सचिव, जनजाति विकास, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री जय राज, प्रमुख वन संरक्षक (Hoff), उत्तराखण्ड।
7. श्री जे0एस0 सुहाग, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।
8. श्री पंकज अग्रवाल, अपर प्रमुख वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार।
9. श्री एस0टी0एस0 लेप्चा, जनजाति मामलों के विशेषज्ञ/जनजाति समुदाय के प्रतिनिधि।
10. श्री जे0एस0 सुहाग, अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा।

सर्वप्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए एजेण्डावार बैठक की कार्यवाही निम्नप्रकार प्रारम्भ की गई :–

कार्यसूची संचालन समिति 4.1:

दिनांक 03.01.2020 को सम्पन्न हुई तृतीय संचालन समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि एवं अनुपालनः

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा दिनांक 03.01.2020 को आयोजित संचालन समिति की तृतीय बैठक के कार्यवृत्त अनुसार लिए गये निर्णयों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या समिति के सदस्यगणों के समक्ष प्रस्तुत की गई। समिति द्वारा कार्यवृत्त का अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यसूची संचालन समिति 4.2: वित्तीय वर्ष 2019–20 की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष उपलब्धि

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 की अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना ₹ 20310.51 लाख के सापेक्ष दिनांक 31.03.2020 तक अवमुक्त धनराशि ₹ 15384.57 लाख के सापेक्ष ₹ 12328.20 लाख के व्यय की प्रगति (80 प्रतिशत) से समिति को अवगत कराया गया। सदस्यों को वर्ष 2019–20 में क्रियान्वयन अभिकरणों को घटकवार अवमुक्त धनराशि व उसके सापेक्ष व्यय की स्थिति से निम्नानुसार अवगत कराया गया :–

धनराशि लाख ₹ में

	क्षतिपूरक वनीकरण	कैट प्लान	एन0पी0वी0	अन्य	कुल योग
कार्ययोजना का आकार	4430.00	1870.00	13195.10	815.41	20310.51
अवमुक्त धनराशि	4224.66	1864.84	8485.48	809.58	15384.57
व्यय	3781.03	1815.90	6096.01	638.39	12328.20
अवमुक्त के सापेक्ष व्यय %	**89**	**94**	**72**	**79**	**80**

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों के सापेक्ष भारत सरकार की शर्तानुसार कुल 33944 है0 लक्ष्यों के सापेक्ष कुल 24908.57 है0 क्षतिपूरक वनीकरण कार्य सम्पादित किया गया है जिसमें वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत 3175 है0 में वनीकरण कार्य तथा 2550 है0 में अग्रिम मृदा कार्य सम्पादित किया गया । वर्ष 2019–20 उपरान्त क्षतिपूरक वनीकरण का कुल लगभग 9000 है0 बैकलॉग अवशेष है, जिसे आगामी 2 वर्षों में पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति को वर्ष 2019–20 के अंतर्गत किए गये विभिन्न कार्यों की उपलब्धि से अवगत कराया गया, जिसमें प्रदेश में उत्तरकाशी वन प्रभाग के अंतर्गत भू–क्षरण को रोके जाने व बुग्यालों के संरक्षण व संवर्द्धन के दृष्टिगत कॉयर नेट व पिरूल से बनाए गये चैकडैमों का प्रस्तुतिकरण किया गया। प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग में इस तरह का अभिनव प्रयास/प्रयोग किया गया है, जिससे इन कार्यों में काफी सराहना मिल रही है। साथ ही उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि भविष्य में स्थानीय आजीविका के दृष्टिगत इसके साथ–साथ उस क्षेत्र की स्थानीय प्रजातियां–भीमल इत्यादि का भी इसमें प्रयोग किया जाएगा।

चैक डैम के समीप Conifer प्रजातियों का Plantation किया जाये। Plantation के पूर्व निर्मित गड्ढों में प्रति गड्ढा आरबुस्कुलर माइकोरिजा (TERI द्वारा निर्मित) का निर्धारित परिमाण में प्रयोग किया जाये जिससे इन प्रजातियों की शीघ्र बढ़त हो सके। चेकडैम के vegetative अंश पर Lactobacillus Microbial Innculla, Molassess एवं पानी में मिला कर छिड़काव किया जाये। इसका अनुपात Lactobacillus Microbial Innoculla : Molassess: Water = 1 liitre : 16 litre : 500 litre रखा जाये। इससे उत्पादकता बढ़ती है तथा हानिकारक Microbes समाप्त हो जाते हैं।

समिति को अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2019–20 में मृदा एवं जल संरक्षण के अंतर्गत कुल 1100 जल कुण्डों का निर्माण किया गया है, जिससे लगभग 7 करोड़ लीटर जल संग्रहण क्षमता विकसित हुई है। साथ ही समिति को विगत 3 वर्षों में मृदा एवं जल संरक्षण के अंतर्गत निर्मित विभिन्न क्षमताओं के जलकुण्डों व उनसे विकसित हुई जल संग्रहण क्षमताओं का विवरण भी निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया :–

वर्ष	विभिन्न क्षमता के जलकुण्ड	2.5 लाख ली0	1 लाख ली0	50 हजार ली0	20 हजार ली0	योग	व्यय धनराशि (लाख ₹)
2017–18	संख्या	20	14	150	703	887	233.24
	जलग्रहण क्षमता	0.5	0.14	0.75	1.4	2.79	
2018–19	संख्या	56	59	515	1059	1689	443.25
	जलग्रहण क्षमता	1.4	0.59	2.57	2.11	6.60	
2019–20	संख्या	86	229	349	435	1100	428.52
	जलग्रहण क्षमता	2.15	2.29	1.74	0.87	7.05	

जल संग्रहण संरचनाओं की तली पर 6 से 9 इंच Bentonite का भरान किया जाये। इसके ऊपर दोमट मिट्टी 4 इंच रखी जाये। इससे Percolation Rate कम होगा तथा अधिक समय तक जल संग्रहित रहेगा।

उक्त के अतिरिक्त समिति के समक्ष वर्ष 2019–20 के अंतर्गत विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा सम्पादित कार्यों यथा–मृदा एवं जल संरक्षण कार्य, अल्मोड़ा वन प्रभाग के अंतर्गत कोसी नदी के पुनर्जीवन सम्बन्धी कार्य, पिरूल चैकडैम, चाल–खाल, कन्टूर ट्रेन्चों का निर्माण, वाटर होल्स का निर्माण, बन्दरों की समस्या से निपटने के लिए बनाए जा रहे रेस्क्यू सेण्टर्स तथा विभिन्न प्रभागों के अंतर्गत बनाए गये हाथी रोधी दीवार तथा सोलर फेन्सिंग के कार्यों का प्रस्तुतीकरण भी किया गया। समिति को यह भी अवगत कराया गया कि वर्ष 2019–20 तक विभिन्न वन प्रभागों के अंतर्गत स्थापित रेस्क्यू सेण्टर/बन्दर बन्ध्याकरण केन्द्रों में लगभग 17900 उत्पाती बन्दरों को बन्ध्याकृत कर दूरस्थ सुरक्षित स्थानों पर छोड़ा गया है।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि चाल–खाल के निर्माण में वैन्टोलाइट का प्रयोग किया जाय। वैन्टोलाइट के स्थान पर प्लास्टिक का उपयोग भी कारगर सिद्ध हो सकता है। इसके लिए अल्मोड़ा जिले में विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसन्धान से सम्पर्क कर उनके द्वारा किये गये इसके उपयोग की विधि से क्षेत्रीय कार्मिकों को अवगत/प्रशिक्षित कराते हुए इसे तद्नुसार अमल में लाया जाए।

उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2019–20 की बैलेन्स शीट आयकर अधिनियम, 1961 के तहत आयकर विवरणी दाखिल एवं ऑडिट हेतु चार्टेड एकाउन्टेन्ट को प्रेषित किए जाने हेतु समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>कार्यसूची संचालन समिति 4.3 वर्ष 2020–21 की वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष क्रियान्वयन अभिकरणों को अवमुक्त की गई धनराशि व उसके सापेक्ष अद्यतन प्रगति:</u>

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2020–21 हेतु संचालन समिति द्वारा कुल ₹ 22856.00 लाख की कार्ययोजना को स्वीकृत कर अन्तिम अनुमोदन हेतु राष्ट्रीय कैम्पा की कार्यकारी समिति को प्रेषित किया गया था, जिसके सापेक्ष भारत सरकार द्वारा कुल ₹ 22509.00 लाख की वार्षिक कार्ययोजना की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसका घटकवार विवरण निम्नानुसार है :–

क्षतिपूरक वनीकरण	अन्य विशिष्ट कार्य	कैट प्लान	एन0पी0वी0	अर्जित ब्याज	कुल योग (लाख ₹ में)
5575	1443	3000	11616	875	22509

कतिपय गतिविधियां जिनकी स्वीकृति भारत सरकार द्वारा नहीं दी गयी है, उनका विवरण समिति के समक्ष निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया :–

- वन्यजीव पशुचिकित्सा चिकित्सालय का निर्माण (देहरादून)
- कुम्भ मेले के दौरान मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम हेतु वाहन किराये पर लेना
- ट्रेनिंग सेंटर का सुदृढ़ीकरण
- अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (आतंरिक)

उपरोक्त धनराशि की स्वीकृति बचनबद्ध/महत्वपूर्ण कार्यों यथा–क्षतिपूरक वनीकरण, कैट प्लान, अन्य स्थल विशिष्ट गतिविधियों, प्राकृतिक पर्यावास सुधार (लैन्टाना उन्मूलन) तथा एन0पी0वी0 की वनीकरण तथा अन्य विभिन्न कार्यों हेतु प्रदान की गई है।

भारत सरकार से वर्ष 2020–21 हेतु प्राप्त स्वीकृति के सापेक्ष क्रियान्वयन अभिकरणों को उपरोक्त गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु अब तक कुल ₹ 15021.75 लाख की धनराशि प्रभागों को अवमुक्त कर दी गई है, जिसके सापेक्ष प्रभागों द्वारा दिनांक 09.10.2020 तक कुल ₹4776.03 लाख की धनराशि का व्यय किया गया है। उक्त धनराशि में भारत सरकार के पत्र सं0 NA-15/1/2020-NA दिनांक 15.07.2020 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में वर्ष 2019–20 की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत अवशेष/अपूर्ण गतिविधियों को वर्ष 2020–21 में पूर्ण किए जाने सम्बन्धी धनराशि भी सम्मिलित है। वर्तमान में कार्ययोजना से सम्बंधित कार्य गतिमान है व लक्ष्यों को 31 मार्च, 2021 तक पूर्ण किया जाना है।

स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत वर्ष 2020–21 हेतु सम्पादित किए जाने वाले/जा रहे कार्यों का पूर्ण विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके अंतर्गत मुख्य–मुख्य कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :–

- ₹ 5575.00 लाख की धनराशि से क्षतिपूरक वनीकरण मद में 2550 है० वनीकरण, 3162 है० अग्रिम मृदा कार्य, पौध उगान व अनुरक्षण आदि कार्यों के सापेक्ष कुल ₹2610.08 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है, जिसके सापेक्ष 2550 है0 वनीकरण कार्य कर लिया गया है व वर्षाकाल उपरान्त अग्रिम मृदा कार्य किया जाना शेष है।

- पूर्व के वर्षों के अनुभव/परिणाम को देखते हुए इस वर्ष मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड की विशेष महत्वपूर्ण योजना 'मृतप्राय नदियों का पुनर्जीवन' पर विशेष ध्यान देते हुए **कोसी के** अतिरिक्त **क्षिप्रा, खोह,** व **न्यार** नदियों के **पुनर्जीवन** हेतु **₹ 600.00 लाख** की धनराशि को सम्मिलित करते हुए **मृदा एवं जल संरक्षण मद के अंतर्गत ₹1500.00 लाख** की धनराशि प्राविधानित की गई है, जिसके सापेक्ष कार्य गतिमान है।

- देहरादून में लच्छीवाला के अन्तर्गत **प्रकृति अनुभूति केन्द्र/नेचर** वन की स्थापना हेतु **₹ 100.00 लाख** की धनराशि से कार्य सम्पादित कराए जा रहे हैं।

- केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के अंतर्गत **उच्च हिमालयी क्षेत्रों में दुर्लभ एवं लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के दृष्टिगत नर्सरी स्थापना** (यथा–ब्रह्म कमल प्रजाति) हेतु **₹ 50.00 लाख** की धनराशि अवमुक्त की गई है।

- **₹ 3000.00 लाख** की धनराशि से प्रदेश में संचालित **9 कैट प्लानों के अंतर्गत अनुमोदित डी0पीआर0 अनुसार विभिन्न कार्य** सम्पादित किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 में पूर्व में संचालित कैट प्लानों के अतिरिक्त नैनीताल वन प्रभाग के अंतर्गत जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के कैट प्लान को भी सम्मिलित करते हुए उसमें कार्य प्रारम्भ किया गया है।

- वन पंचायतों में वनाग्नि सुरक्षा हेतु ₹ 200.00 लाख की धनराशि को सम्मिलित करते हुए वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण, वृक्षारोपण, चारागाह विकास, प्रशिक्षण आदि हेतु कुल ₹ 800.00 लाख की प्रस्तावित धनराशि के सापेक्ष ₹ 561.53 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है, जिसमें कार्य गतिमान है।

- वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले **कुंभ मेले** के दौरान **मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम** के दृष्टिगत सोलर फेन्सिंग, हाथियों की कॉलर आई0डी0, सुरक्षा दीवार आदि विभिन्न गतिविधियों में प्रस्तावित **₹1090.00** लाख के सापेक्ष पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

- संरक्षित क्षेत्रों से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम हेतु 135 **ईको विकास समितियों तथा** VVWPF **का सुदृढ़िकरण व क्षमता विकास कार्य हेतु ₹ 375.00 लाख की धनराशि प्राविधानित।**

- **₹ 300.00 लाख** की धनराशि से **वन एवं वन्यजीव अनुसंधान सम्बन्धी कार्य प्रगति पर है।**

- ₹ 800.00 लाख की धनराशि से 80 वन रक्षक चौकियों/पैट्रोलिंग शेल्टरों का निर्माण तथा 12 वॉच टावरों के निर्माण हेतु ₹ 100.00 लाख की धनराशि प्राविधानित है, जिसमें कार्य गतिमान है।

समिति के समक्ष उपरोक्त के अंतर्गत सम्पादित मुख्य–मुख्य कार्यों का प्रस्तुतीकरण किया गया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया कि आत्म निर्भर भारत योजना के अंतर्गत भारत सरकार को नियमित रूप से साप्ताहिक सूचना प्रेषित की जा रही है, जिसमें कैम्पा के अंतर्गत सम्पादित कार्यों में सृजित मानव दिवस की सूचना प्रेषित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु सम्पादित किए जाने वाले/किये जा रहे कार्यों में कुल 33 लाख मानव दिवस सृजित किए जाने का अनुमान है। दिनांक 05.10.2020 तक लगभग 9.62 लाख मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं।

भारत सरकार द्वारा दिनांक 28.09.2020 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्य कैम्पा प्राधिकरणों की उनके ए0पी0ओ0, उसके सापेक्ष अवमुक्त धनराशि, व्यय तथा इससे सम्पादित किए गये कार्यों में अनुमानित मानव दिवस सृजन की रिपोर्ट भी समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई। भारत सरकार की उक्त आत्म निर्भर भारत रिपोर्ट के अनुसार मणिपुर, हिमांचल प्रदेश के बाद उत्तराखण्ड राज्य को 66 प्रतिशत उपलब्धि के आधार पर तृतीय रैंकिंग दी गई है। अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर संतोष व्यक्त करते हुए इसमें और अधिक ध्यान दिये जाने की अपेक्षा की गई। समिति उपरोक्त से अवगत हुई।

चर्चा में यह भी प्रकाश में आया कि विभिन्न राज्यों, जिनकी भारत सरकार में जमा राज्यांश की धनराशि उत्तराखण्ड राज्य की तुलना में लगभग बराबर अथवा कम है, उनके वित्तीय वर्ष 2020–21 की कार्ययोजना इस राज्य की कार्ययोजना की तुलना में काफी अधिक है। यथा–मध्य प्रदेश राज्य की कार्ययोजना `860.96 करोड़, उड़ीसा–`773.39 करोड, छत्तीसगढ़–`963.24 करोड़, तेलंगाना–`483.78 करोड़ व महाराष्ट्र–`534.33 करोड़।

विकास कार्यों के दृष्टिगत वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण के सापेक्ष कैम्पा के विभिन्न मदों में पर्यावरणीय क्षति को कम/संतुलित किए जाने के उद्देश्य से धनराशि जमा की जाती है, अतः राज्य को उपरोक्त धनराशि का भारत सरकार की निर्धारित शर्तों व कैम्पा के निर्धारित मानकों के अनुसार समयान्तर्गत सम्पादित किया जाना अनिवार्य है। समिति द्वारा उपरोक्त के आलोक में यह निर्णय लिया कि राज्य की भौगोलिक परिस्थिति एवं आवश्यकतानुसार कैम्पा की वार्षिक कार्ययोजना का आकार निर्धारित किया जाए।

<u>कार्यसूची संचालन समिति 4.4 वर्ष 2020–21 की वार्षिक कार्ययोजना में अनुपूरक बजट के प्रस्तावों का अनुमोदन:</u>

अध्यक्ष महोदय द्वारा समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया कि दिनांक 09 सितम्बर, 2020 को मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार की अध्यक्षता में कैम्पा की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया था कि विभाग में वानिकी सम्बन्धी विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, यथा–अग्रिम मृदा कार्य, वनीकरण, अनुरक्षण में नर्सरी वाचर तथा वनाग्नि के समय फायर वाचर आदि विभिन्न गतिविधियां सम्पादित होती हैं, ऐसे में वहां के स्थानीय नागरिकों/ग्रामवासियों को सीजनल गतिविधियों में engage किया जा सकता है। वर्तमान में कोविड–19 के कारण कई स्थानीय युवक महामारी के सामान्य होने की प्रतीक्षा में आजीविका के साधनों के अभाव में अपने–अपने घरों में हैं, अतः ऐसे में विभाग की वानिकी सम्बन्धी उपरोक्त विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में इन्हें नियमित कार्मिकों के अतिरिक्त सहयोग के रूप में दैनिक/अनियमित श्रमिकों की भांति वन प्रहरी के रूप में इनसे कार्य लिया जा सकता है जिससे एक ओर विभाग के कार्य समयान्तर्गत पूर्ण होंगे, वहीं दूसरी ओर स्थानीय नागरिकों/प्रवासी युवाओं को सीजनल आजीविका के साधन भी उपलब्ध होंगे। इसके लिए मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा 10000 वन प्रहरियों को उपरोक्त कार्यों में सहयोग देने हेतु सीजनल तैनाती किये जाने के दृष्टिगत वार्षिक कार्ययोजना में प्राविधान किये जाने के निर्देश दिए गये हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य में वन एवं वन्य जीवों के विकास व संवर्द्धन तथा राज्य की भौगोलिक परिस्थिति व इसके विकास के दृष्टिगत वर्ष 2020–21 की वार्षिक कार्ययोजना में निम्नानुसार विभिन्न गतिविधियों को अनुपूरक वार्षिक कार्ययोजना के रूप में सम्मिलित किए जाने के निर्देश दिए गये –

1. **भराड़ीसैण, खिर्सू, लच्छीवाला, जयहारीखाल, सिमतोला, हल्द्वानी, बुरांसखण्डा व रिखोली में नेचर वन/ईको पार्क का निर्माण**, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत बुग्याल संरक्षण एवं मूथूगाड़ रिवर पुनर्जनन हेतु प्राविधान।
2. वानिकी सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियों में नियमित कार्मिकों के सहयोगार्थ व वनाग्नि की रोकथाम व सुरक्षा के दृष्टिगत 10000 वन प्रहरियों की सीजनल तैनाती।
3. प्रदेश में बढ़ती बन्दर जनित समस्या के निवारण/नियंत्रण हेतु गढ़वाल तथा कुमांऊ जोन में कुल 04 वानर रेस्क्यू सेण्टर का निर्माण/पिंजरों का क्रय तथा बन्दरों को पकड़ने व ढुलान सम्बन्धी प्राविधान।
4. वन्य जीवों से खेती की सुरक्षा के दृष्टिगत वन क्षेत्रों से लगे संवेदनशील ग्रामों में (कुमांऊ जोन–50 व गढ़वाल जोन–50) जंगली सुअर रोधी दीवार निर्माण कार्य।
5. वन्य जीवों से खेती व जानमाल से सुरक्षा के दृष्टिगत विभिन्न वन प्रभागों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों से लगती सीमाओं पर सोलर फेन्सिंग, हाथी दीवार व खाई खुदान कार्य ।
6. मानव वन्य जीव रोकथाम के दृष्टिगत कार्बेट टाईगर रिजर्व में वन्य जीव रेस्क्यू सेण्टर की स्थापना, विभिन्न प्रभागों में प्राकृतिक पर्यावास सुधार कार्य के अंतर्गत लैण्टाना उन्मूलन कार्य, वन

मार्गों का रखरखाव, वन रक्षक चौकियों/वॉचटावरों का निर्माण तथा सोलर लाइट, कैमरा ट्रैप व अन्य उपकरणों का क्रय।

7. मृतप्राय नदियों के पुनर्जीवन के दृष्टिगत प्रदेश के अंतर्गत खोह, गण्डक, हेवल, गहड़ क्षेत्र, मालन, गरूड़ गंगा, रायगाड़ (यक्षावति) आदि का पुनर्जनन व उपचार कार्य।
8. उच्च हिमालय क्षेत्रों में बुग्यालों का संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण एवं संवर्द्धन, बांज के वनों के संवर्द्धन हेतु सिल्वीकल्चर कार्य तथा ए0एन0आर0 कार्य।
9. स्थल विशिष्ट कार्यों के लक्ष्यों को पूर्ण किये जाने के दृष्टिगत क्षतिपूरक वनीकरण के अंतर्गत अग्रिम मृदा व वनीकरण कार्य तथा कैट प्लानों का क्रियान्वयन।
10. वन एवं वन्य जीव संरक्षण सम्बन्धी जागरूकता का संचार करने हेतु स्कूली छात्र–छात्राओं को इससे जोड़ते हुए विभिन्न स्कूलों में ईको–क्लब स्थापित किया जाना।

समिति को अवगत कराया गया कि मा0 मुख्यमंत्री जी के उपरोक्त निर्देशों के क्रम में विभिन्न जोनल/क्रियान्वयन अभिकरणों के स्तरों से प्राप्त प्रस्तावों को सम्मिलित कर दिनांक 23.09.2020 को प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में सम्पन्न कार्यकारी समिति के समक्ष वर्ष 2020–21 की कार्ययोजना के अंतर्गत ₹ 20942.55 लाख की अनुपूरक वार्षिक कार्ययोजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। कार्यकारी समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान करते हुए इसे संचालन समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त के क्रम में अनुपूरक वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत सम्मिलित किये जाने वाले प्रस्तावों/गतिविधियों पर विचार–विमर्श उपरान्त विभिन्न जोनल स्तर से प्राप्त विस्तृत प्रस्तावों के आधार पर निम्नानुसार गतिविधियों को सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया :–

वर्ष 2020–21 के अंतर्गत अनुपूरक वार्षिक कार्ययोजना के प्रस्ताव

निबल वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियां		
एन0पी0वी0 का न्यूनतम 80%		₹ लाख में
1.	वनों में वन एवं वन्य जीवों की **सुरक्षा**, विभिन्न वानिकी कार्यों में नियमित कार्मिकों के सहयोगार्थ **10000 वन प्रहरियों की सीजनल तैनाती (₹4000.00 लाख)** व पंचायती वनों में वनाग्नि सुरक्षा हेतु 1400 संख्या वनाग्नि सुरक्षा सामग्री/किट की आपूर्ति **(₹160.00 लाख)**	4180.00
2.	**प्रदेश में बढ़ती बंदर जनित समस्या के निवारण/नियंत्रण** हेतु गढ़वाल मण्डल में चिड़ियापुर (**हरिद्वार** वन प्रभाग) व **बद्रीनाथ/केदारनाथ** वन प्रभाग तथा कुमाऊं मण्डल में दानी बंगर (**तराई पूर्वी** वन प्रभाग,	1930.00

	हल्द्वानी) व सिविल सोयम वन प्रभाग **अल्मोड़ा** में कुल 04 वानर रेस्क्यू सेंटर / ट्रांजिट रेस्क्यू सेंटरों का निर्माण, पिजरों का क्रय, बंदरों को पकड़ने, ढुलान, खानपान आदि	
3.	**जंगली जानवरों से खेती की सुरक्षा** के दृष्टिगत गढ़वाल तथा कुमाऊ क्षेत्रों के 50–50 गांवों सहित कुल 100 गांवों में वनों से लगती सीमाओं पर 125 कि0मी0 **जंगली–सूअर रोधी दीवार का निर्माण**	2558.11
4.	वन्यजीवों से खेती की सुरक्षा के दृष्टिगत विभिन्न वन प्रभागों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों से लगती वन सीमाओं पर 50 कि0मी0 **सोलर फेंसिंग** का निर्माण	559.96
5.	वन्यजीवों से खेती व जानमाल की सुरक्षा के दृष्टिगत विभिन्न वन प्रभागों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों से लगती वन सीमाओं पर 13 कि0मी0 **हाथी रोधी दीवार** का निर्माण	1222.36
6.	वन्यजीवों से खेती व जानमाल की सुरक्षा के दृष्टिगत विभिन्न वन प्रभागों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों से लगती वन सीमाओं पर 250 कि0मी0 **हाथी रोधी खाईयों का खुदान**	336.25
7.	**प्रदेश के अंतर्गत वर्षा जल संग्रहण**, नदी/नाला उपचार कार्य, व प्रदेश की विभिन्न मृतप्राय **नदियों खोह, गंडक, हेवल, गहड़ क्षेत्र, मालन, गरूड़गंगा, राईगाड़ (यक्षावती), मोथूगाड़ आदि का पुनर्जनन व उपचार कार्य**	5185.98
8.	वन एवं वन्यजीव संरक्षण संबंधी जागरूकता का संचार करने हेतु स्कूली छात्र छात्राओं को सम्मिलित करते हुए 2000 स्कूलों में ईको क्लबों की स्थापना	200.00
9.	वन्यजीवों से सुरक्षा व **मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम** के दृष्टिगत सोलर लाईट, कैमरा ट्रैप व अन्य उपकरणों का क्रय	88.50
10.	प्राकृतिक पर्यावास सुधार कार्य हेतु 500 हे0 क्षेत्र में **लैंटाना उन्मूलन कार्य**	231.72
11.	मानव वन्यजीव संधर्ष रोकथाम के दृष्टिगत कॉर्बेट टाईगर रिजर्व में **वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर की स्थापना**	300.00
12.	बांज के वनों के संर्वधन हेतु **सिल्वीकल्चर कार्य**	20.00
13.	उच्च हिमालयी क्षेत्रों में **बुग्यालों का संरक्षण (केदारनाथ)**	95.00
14.	**जैवविविधता संरक्षण** एवं संवर्धन	7.50

15.	प्राकृतिक सहायतित पुनरोत्पादन (ए0एन0आर0)	32.00
	योग (एनपीवी का न्यूनतम 80%) – 88.45%	16947.36
एन0पी0वी0 का अधिकतम 20%		
16.	वनों तथा वन्यजीवो के प्रति जनजागरूकता का संचार करने तथा जैवविविधता से संरक्षण के दृष्टिगत **भराड़ीसैण, खिर्सू, लच्छीवाला, जयहरीखाल, सिमतोला, हल्द्वानी, बुरांसखण्डा व रिखोली में नेचर वन/ईको पार्क का निर्माण**	862.00
17.	वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा के दृष्टिगत विभिन्न वन प्रभागों में **वन रक्षक चौकियों /वॉच टावरों** का निर्माण (अपर प्रमुख वन संरक्षक, अनुसन्धान, प्रक्षिषण एवं प्रबन्धन के स्तर से प्राप्त 3 रेंज स्तर के कार्यालय व 2 रेंज स्तर के आवासीय भवन निर्माण हेतु रु0 2.00 करोड़ की धनराशि सम्मिलित करते हुए)	769.82
18.	वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा के दृष्टिगत सुचारू रूप से गश्त आदि किये जाने के दृष्टिगत **वन मार्गों का रखरखाव** कार्य	581.20
	योग (एनपीवी का अधिकतम 20%) – 11.55%	2213.02
	कुलयोग एनपीवी	19160.38
वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों की शर्तों के अनुसार अनिवार्य कार्य		
19.	**क्षतिपूरक वनीकरण** को पूर्ण किये जाने के दृष्टिगत अग्रिम मृदा कार्य व वृक्षारोपण कार्य	479.97
20.	**कैट प्लानों** का कियान्वयन	752.20
21.	सौंग, जाखन तथा गौला नदियों में **अन्य स्थल विशिष्ट गतिविधियों में** रिवर ट्रेनिंग सम्बन्धी **स्पर निर्माण एवं अन्य** कार्य	550.00
	योग अनिवार्य कार्य	1782.17
	महायोग	20942.55

विस्तृत विचारोपरान्त उक्त गतिविधियों को संचालन समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। उपरोक्त गतिविधियों के सम्बन्ध में मुख्य–मुख्य गतिविधि/प्रस्तावों पर निम्नानुसार चर्चा हुई :–

1. उपरोक्त तालिका के क्र0सं0–1 में वन व वनाग्नि सुरक्षा के दृष्टिगत सीजनल रखे जाने वाले वन प्रहरी की तैनाती इस प्रकार की जानी है कि इनका उपयोग न केवल वनाग्नि की सुरक्षा

अपितु वानिकी सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियों में इनसे नियमित कार्मिकों के सहयोगार्थ सीजनली कार्य सम्पादित किए जाएंगे। इसमें स्थानीय युवाओ अथवा कोविड–19 के कारण अपने घर वापस आए नवयुवकों/प्रवासियों को प्राथमिकता दी जाए तथा यथासम्भव इन्हें उपनल आदि वाह्य स्रोत के माध्यम से सीजनल/निर्धारित अवधि हेतु ही रखा जाए। मूलतः इनकी सेवाएं पर्वतीय क्षेत्रों में ही ली जाएंगी। ऐसे वन प्रभाग जो मैदानी/तराई क्षेत्रों में स्थित हैं, उनके मात्र पर्वतीय क्षेत्रों हेतु ही इनकी सेवाएं ली जाएंगी।

2. क्र0सं0–3 से 6 तक वन्यजीवों से खेती व जानमाल की सुरक्षा के दृष्टिगत सम्पादित कराए जाने वाली विभिन्न गतिविधियों में संवेदनशील क्षेत्रों का ही विशेष रूप से चयन किया जाए, ताकि वास्तविक रूप से इनके परिणाम दृष्टिगोचर हो सकें।
3. क्र0सं0–7 में प्रदेश के अंतर्गत मृतप्राय विभिन्न नदियों के पुनर्जनन व उपचार कार्यों तथा विभिन्न मृदा एवं जल संरक्षण कार्यों में उपरोक्त नदियों के साथ–साथ दिनांक 25.09.2020 को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन सं0–673/2018 के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिए गये निर्णयों के क्रम में वर्ष 2020–21 में **भेला, ढेला, सुसवा, पिलाखर, नन्धौर एवं कल्याणी** (6 प्रदूषित नदियों) नदियों में कैचमेंट उपचार कार्य उत्तराखण्ड कैम्पा के अंतर्गत किया जाना है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उपरोक्त आदेश के क्रम में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक–यूईपीपीसीबी/एच.ओ./सा0–476/2020/3663–745 दिनांक 08.10.2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड राज्य में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भी उत्तराखण्ड राज्य के 09 नदियों को Polluted River Strecthes की श्रेणी में चिन्हित किया है। इसमें भी उनके द्वारा कैम्पा के अंतर्गत इन नदियों के उपचार के सम्बन्ध में नदियों के दोनों ओर वनीकरण कार्य एक वर्ष के अन्तर्गत सम्पादित किए जाने का उल्लेख किया गया है।

अतः इसके लिए मुख्य सचिव महोदय द्वारा इन नदियों को भी अनुपूरक वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित करते हुए इन्हें समयान्तर्गत पूर्ण किए जाने के उद्देश्य से इस मद में कार्यकारी समिति के स्तर से संस्तुत ₹5185.98 लाख के स्थान पर **₹10000.00 लाख** की धनराशि का प्राविधान किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिए गये कि इन नदियों का कैचमेन्ट उपचार करने हेतु Central Soil and Water Conservation Research & Training Institute (CSWRTI) के सहयोग से प्लान तैयार किए जाने हेतु सम्पर्क किया जाए। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इनमें अग्रिम मृदा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व इसका दिनांक 01.01.2021 को विधिवत उद्घाटन किया जाना है, अतः इसमें प्लान तैयार किए जाने, वनीकरण हेतु क्षेत्रों का चयन सम्बन्धी अन्य औपचारिकताएं/कार्य अनिवार्य रूप से पर्याप्त मानवशक्ति के साथ अक्टूबर से दिसम्बर माह के

अंतर्गत पूर्ण कर लिए जाएं। इसमें समस्त कार्यों को एक वर्ष के अंतर्गत पूर्ण किया जाना है। एन0जी0टी0 में इस सम्बन्ध में वाद दायर है। उपरोक्त कार्यों की रिपोर्ट को मुख्य सचिव महोदय द्वारा एक वर्ष के अंतर्गत एन0जी0टी0 में प्रस्तुत किया जाना है।

चूंकि इन नदियों का डाटा उपलब्ध नहीं है, अतः इन नदियों के सम्बन्ध में सिंचाई विभाग से वार्ता कर नदियों की Highest Flood Level Indicating (HFLI) प्राप्त करके डी0पी0आर0 बनाये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की जाए। यदि किसी कारणवश उक्त क्षेत्रों के आंकड़े (HFLI उपलब्ध न हो पाएं तो स्थानीय ग्रामवासियों/फील्ड कार्मिकों के अनुभव के आधार पर (Historical Matrix) पर भी यह डाटा तैयार किया जा सकता है।

उक्त नदियों के कैचमेन्ट कार्यों में एन0जी0टी0 तथा Central Soil and Water Conservation Research & Training Institute (CSWRTI) के स्तर से भी अनुश्रवण किया जाना है, अतः इन कार्यों विशेष सतर्कता बरती जाए। इनके अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के उद्देश्य से एक पृथक स्वतन्त्र समिति का चयन किया जाए जिसमें भारत सरकार के उपक्रम N.I.H., Roorkee को सम्मिलित किया जाए।

4. क्र0सं0–16 व 17 में किए गये नेचर वन/ईको–पार्क के निर्माण सम्बन्धी प्राविधानों के सम्बन्ध में चर्चा की गई कि भारत सरकार द्वारा नेचर वनों के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण योजना तैयार की गई है, जिसमें भारत सरकार द्वारा प्रदेश के अंतर्गत 05–06 नेचर पार्कों का निर्माण (₹ 200.00 लाख प्रति नेचर पार्क) का प्राविधान किया गया है। इसी प्रकार अन्य विभिन्न स्थानों पर भी मा0 मुख्यमंत्री जी की अपेक्षानुसार कैम्पा निधि से धनराशि का उक्तानुसार प्राविधान किया जा रहा है।

5. क्र0सं0–14 में किए गये जैव विविधता संरक्षण एवं संवर्द्धन के प्राविधान के सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिए गये कि ₹ 7.50 लाख का प्राविधान अत्यन्त न्यून है, अतः राज्य में जैव विविधता के संरक्षण एवं संवर्द्धन के दृष्टिगत इसमें उपरोक्त को सम्मिलित करते हुए **₹500.00 लाख** की धनराशि का प्राविधान किया जाए। इसमें जैव विविधता बोर्ड से सम्पर्क करते हुए जैव विविधता रजिस्टर तैयार किए जाने हेतु भी प्राविधान किया जाय। इस मद के अंतर्गत विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि इसमें जो वनीकरण कार्य हों, उनमें स्थानीय प्रजातियों का उपयोग हो।

जैव विविधता संरक्षण सम्बन्धी मद के अंतर्गत राज्य में दिन प्रतिदिन कम होने वाली/विलुप्त होने वाली गौरेया प्रजाति की पक्षी के संरक्षण सम्बन्धी आवश्यक कदम उठाए जाएं। राज्य के रिक्त पड़े ग्रामों में गौरेया के वासस्थल बनाए जाने हेतु प्रयास किया जाए। ऐसे स्थलों/ग्रामों का चयन किया जाए जो Pestisides Free अथवा Cluster of Organic Villages हों, तथा जहां मोबाइल टॉवर (माइक्रोवेव रेडिएशन) ना हों, क्योंकि इनसे गौरेया प्रजाति के

पक्षियों के वासस्थल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य सचिव महोदय द्वारा जैव विविधता संरक्षण एवं संवर्द्धन मद में 'गौरेया आश्रय स्थल' हेतु उपरोक्त ₹7.50 लाख के प्रस्ताव को सम्मिलित करते हुए कुल ₹500.00 लाख की धनराशि के प्रस्ताव का प्राविधान किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

इस प्रकार संचालन समिति द्वारा उपरोक्तानुसार लिए गये निर्णय के आधार पर वर्ष 2020–21 हेतु अनुपूरक वार्षिक कार्ययोजना के रूप में निम्नानुसार ₹26249.07 लाख की विभिन्न गतिविधियों को कैम्पा नियमावली, 2018 के प्राविधानों के तहत सम्मिलित करते हुए इसे अन्तिम स्वीकृति हेतु विधिवत भारत सरकार को प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया :–

ADDITIONAL PROPOSALS UNDER APO 2020-21 (Amount in lakh)					
S. No.	CAF Act / Rule	Component / Activity	Unit	Physical Target	Financial Target
1	2	3	4	5	6
SITE SPECIFIC ACTIVITIES					
1	As per Section 6(a) of CAF Act 2016	Compensatory Afforestation	ha	546.129	479.97
		Sub-Total			**479.97**
2	As per Section 6(a) of CAF Act 2016	**Catchment Area Treatment (CAT) Plan**			
		Singoli Bhatwari HEP			231.70
		Jamrani MUP			318.00
		Khutani HEP			202.50
		Sub-Total			**752.20**
3	As per Section 6(a) of CAF Act 2016	**Treatment works of rivers as per conditions of minor mineral collection land transfer cases**	**LS**	**LS**	**550.00**
		Sub-Total			**550.00**
		Total (Site Specific Works)			**1782.17**
NET PRESENT VALUE (NPV)					
Core Activities (Min. 80% of NPV)					
3	Rule 5(2)(a)	Assisted Natural Regeneration (ANR)	LS	LS	32.00
4	Rule 5(2)(f)	**Forest Fire Protection Works**			

		Forest Protection Guards "Van Prahari" (for forest fires prevention & control, protection of forests and wildlife etc.		10000 Nos.X5 months X Rs. 8000/-	4000.00
		Fire Control Room Strengthening	LS	LS	20.00
		Distribution of Forest Fire Protection Kits	Nos.	1400	160.00
5	Rule 5(2)(g)	**Soil and Water Conservation Works** & Rejuvenation of khoh, Gandak, Heval, Gahad Area, Malan, Garurganga, Raigaad (Yakshavati) Rivers (Rs. 5185.98 lakh)	Nos	08	10000
		Treatment and Rejuvenation of **Bhela, Dhela, Suswa, Pilakhar, Nandhaur & Kalyani Rivers** with the help of CSWRTI as per direction of NGT on Writ No. 673 & direction of PCB, GoI for treatment of 06 polluted rivers in Uttarakhand (Rs. 4814.02 lakh)	Nos	06	
6	Rule 5(2)(d)	**Solar Fencing**	Km	50	559.96
		Elephant Proof Wall	km	13	1222.36
		Wild Boar Proof Fencing	km	125	2558.11
		Elephant Proof Trenches	km	250	336.25
7	Rule 5(2)(k)	**Human Wildlife Conflict Resolution** (Monkey Rescue Centers/ Transit rescue centers, cages, monkey catching etc. at Chiriapur (Haridwar), Kedarnath Wildlife Division, Dani Bangar (Terai Central) and Almora (Civil Soyam Almora)	Nos.	4	1930.00

8	Rule 5(2)(k)	**Equipment support** for WL cons. (Rescue equipment and Hi-tech equipment for enhancement of enforcement)	LS	LS	85.50
9	Rule 5(2)(l)	**Non Conventional and Renewable Energy**	LS	LS	3.00
10	Rule 5(2)(c)	**Silvicultural Operations** of Oak Forests	LS	LS	20.00
11	Rule 5(2)(i)	**Management of Invasive Species**	ha	500	231.72
12	Rule 5(2)(k)	Construction & Maintenance of **Rescue Center** at Corbett.	No.	1	300.00
13	Rule 5(2)(d)	**Protection of Bugyals**	ha	LS	95.00
14	Rule 5(2)(m)	Management of Bioligical Diversity and Bioligical Resources –**"Gauraya Ashray Sthal"** and other activities.	LS	LS	500.00
	Sub-Total	**90.13% of Total NPV**			**22053.90**
Rest of the Activities (upto 20% of NPV)					
15	Rule 5(3)(i)	Establishment of Eco Clubs in 2000 schools **to promote awareness on Forests & Wildlife Conservation**	Nos.	2000	200.00
16	Rule 5(3)(e)	Construction of **Forest Guard Chowkies (`680 lakh)** & Maintenance of existing building upto range level	Nos.	50	769.82
17	Rule 5(3)(d)	**Forest Roads** maintenance	LS	LS	581.20
18	Rule 5(3)(b)	Establishment of **Eco/Nature Parks**	Nos.	8	862.00
Sub-Total	**(9.86 % of Total NPV)**				**2413.02**

	Total NPV				24466.92
GRAND TOTAL					26249.09

संचालन समिति द्वारा उक्तानुसार अनुमोदित अनुपूरक वार्षिक कार्ययोजना 2020–21 का घटकवार विवरण निम्नानुसार है :–

क्षतिपूरक वनीकरण	अन्य विशिष्ट कार्य	कैट प्लान	एन0पी0वी0	अर्जित ब्याज	कुल योग (लाख ₹में)
479.97	550.00	752.20	24466.92	-	26249.09

उपरोक्त कार्यसूची संचालन समिति 4.3 के अनुसार वर्ष 2020–21 की पूर्व में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत ₹ 22509.00 लाख की वार्षिक कार्ययोजना एवं अनुपूरक वार्षिक कार्ययोजना 2020–21 को सम्मिलित करते हुए, संचालन समिति द्वारा वर्ष 2020–21 हेतु **कुल ₹48758.09** लाख (₹22509.00 लाख + ₹26249.09 लाख) की वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन प्रदान करते हुए इसे अन्तिम स्वीकृति हेतु कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय कैम्पा, भारत सरकार को प्रेषित करने हेतु निर्णय लिया गया।

इस प्रकार संचालन समिति द्वारा वर्ष 2020–21 हेतु निम्नानुसार घटकों में कुल ₹48758.09 लाख की वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन प्रदान किया गया :–

क्षतिपूरक वनीकरण	अन्य विशिष्ट कार्य	कैट प्लान	एन0पी0वी0	अर्जित ब्याज	कुल योग (लाख ₹में)
6054.97	1993.00	3752.20	36082.92	875	48758.09

मुख्य सचिव महोदय द्वारा उपरोक्त वर्ष 2020–21 की अनुपूरक वार्षिक कार्ययोजना को कैम्पा के निर्धारित मानकों/प्रपत्रों अनुसार शीघ्र तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित करने के निर्देश दिए, जिससे समयान्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो सके व इसमें प्राविधानित लक्ष्यों को समयान्तर्गत प्राप्त किया जा सके।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 4.5: अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से:

- वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत स्वीकृत गतिविधियों को अनिवार्य रूप से वित्तीय वर्ष के अंतर्गत पूर्ण गुणवत्ता के साथ सम्पादित किया जाए। प्रभागों के नियंत्रक अधिकारी नियमित रूप से कैम्पा के अंतर्गत सम्पादित कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित करें।

- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व क्रियान्वयन अभिकरण वृहद निर्माण के कार्यों में विधिवत वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृतियां सक्षम स्तरों से प्राप्त कर लें।
- क्षतिपूरक वनीकरण कैम्पा की मुख्य गतिविधि है, अतः इसमें क्रियान्वयन अभिकरण विशेष रूचि लेते हुए बैकलॉग को पूर्ण करना सुनिश्चित करें। क्षतिपूरक वनीकरण में जहां पर क्षेत्र ढंगारी अथवा असामान्य स्थिति में हो, वहां पर ए0एन0आर0 मोड के अंतर्गत भी कार्य सम्पादित कराए जाने पर भी विचार किया जाए।
- कैम्पा के अंतर्गत सम्पादित किये जाने वाले/जा रहे समस्त कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप एवं कैम्पा अधिनियम, 2016 तथा इसके क्रम में निर्गत कैम्पा नियमावली, 2018 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत ही सम्पादित किए जाएं।

अन्त में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अध्यक्ष–संचालन समिति एवं समस्त उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की समाप्ति की गई।

17/10/20

(जे॰एस॰ सुहाग)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखंड कैम्पा।

अनुमोदित

17.10.20

(ओम प्रकाश)
मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं
अध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखंड प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखंड कैम्पा)
(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)
वन मुख्यालय, 85–राजपुर रोड, देहरादून टेलीफैक्स : 0135–2744077 ई–मेलः ceocampa-forest-uk@nic.in /ceoukcampa@gmail.com
web site- www.ukcampa.org.in

पत्रांक– 661 /संचा0स0(4) दिनांक, देहरादून, 17 अक्टूबर, 2020।

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
2. प्रमुख सचिव/सचिव– वित्त, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
3. प्रमुख सचिव/सचिव– नियोजन, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
4. प्रमुख सचिव/सचिव–ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
5. प्रमुख सचिव/सचिव– राजस्व, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
6. प्रमुख सचिव/सचिव– कृषि, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
7. प्रमुख सचिव/सचिव–जनजाति विकास, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उ0 कैम्पा।
8. प्रमुख सचिव/सचिव– पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उ0 कैम्पा।
9. प्रमुख सचिव/सचिव– विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, कैम्पा।
10. प्रमुख वन संरक्षक **(HoFF),** उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
11. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
12. अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी–वन संरक्षण, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
13. अपर प्रमुख वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, 25–सुभाष रोड, देहरादून एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
14. नोडल अधिकारी, राज्य वन विकास अभिकरण (प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत) एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
15. श्री एस0टी0एस0 लेप्चा, जनजाति मामलों के विशेषज्ञ/जनजाति समुदाय के प्रतिनिधि एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।

17/10/20
(जे.एस. सुहाग)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखंड कैम्पा।

पत्रांक– 661 /संचा0स0 (4) उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपिः निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा के संज्ञानार्थ सादर प्रेषित।

17/10/20
(जे.एस. सुहाग)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखंड कैम्पा।